सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 से संबंधित जानकारी

निर्णय की प्रक्रिया

संबंधित कर्मचारी एवं अनुभाग अधिकारी द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत नियमानुसार प्रस्ताव अपने वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत होता है। विभागाध्यक्ष द्वारा अपने प्राधिकरण में होने वाले निर्णय अपने स्तर से लिए जाते है । उनके प्राधिकरण में नहीं होने वाले विषय पर प्रकरण एकल नस्ती अथवा पत्र द्वारा म.प्र. शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग को प्रेषित किये जाते है । समस्त मुख्य अभियंता को विभागाध्यक्ष के अधिकार प्रदत है । म.प्र. कार्य विभाग मैन्युअल के अनुसार विभिन्न अधिकारियों को प्राप्त अधिकार के अनुसार वे अधिकारी भी अपने स्तर से निर्णय करते है ।